संख्या 11013/3/2009-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

*****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
दिनांक 3 अगस्त, 2009

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आरक्षण) नियमावली, 1964-कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने संबंधी मार्गदर्शी-सिद्धांत ।**

------

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 21 जुलाई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मामले पर सचिवों की एक समिति द्वारा विचार किया गया था और निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :-

''जहां तक महिलाओं के संरक्षण का संबंध है, यह सुझाव दिया गया था कि यौन-उत्पीड़न से संबंधित विशाखा मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत उपबंधित शिकायत समिति तंत्र पूरी तरह से निर्णय के अनुसार होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि समिति हर समय प्रभावकारी और कार्यात्मक रहे । समिति के लिए यह वांछनीय है कि वह एक तिमाही में यौन उत्पीड़न का कोई सीधा मामला सामने नहीं आने की स्थिति में भी एक बैठक आयोजित करें और संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन में विशाखा निर्णय की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने की तैयारी की समीक्षा करें । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उपयुक्त निदेश जारी करेगा ''

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से इसकी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है ।

प्रभाकर

(पी. प्रभाकरन)
उप सचिव, भारत सरकार

**अनुलग्नक : यथोपरि**
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषित

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
2. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय ।

5. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
8. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों नई दिल्ली ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
11. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त का.ज्ञा. को इस विभाग की वेबसाइट (www.persmin.nic.in) पर डाल दें ।

(200 अतिरिक्त प्रतियाँ)